25/11/21	पत्रावली PGKS-21 कैम्प-सिरासना में रखी गई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं० उपस्थित। अप्रार्थी सं० 3 ने जवाब पेश किया जो शामिल रहे। उपस्थित पक्षों को सुना गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	[illegible] अ०म० [illegible]

सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 52/2021

प्रार्थी – 1. अभयसिंह पुत्र मोतीसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र मोतीसिंह जातियान पुरोहित निवासीगण खेड़ी चम्पा तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

बनाम

अप्रार्थीगण 1. मेघसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी खेड़ी चम्पा तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.शाखा मेड़तासिटी जिला नागौर
3. तहसीलदार डेगाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री जीयाराम रॉयल

दिनांक 25.11.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खेड़ी चम्पा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के साथ–साथ अमरसिंह पुत्र लालसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 303 रकबा 2.76 हैक्टेयर भूमि अन्य खसरान की भूमि के साथ शामलाती खातेदारी की काश्त एवं कब्जासुदा आई हुई थी जिसका बंटवारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई अमरसिंह के बीच आपसी सहमति से किया जाकर नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 17.06.2016 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि का माफिक बंटवाड़ा अमल दरामद किया गया तथा नामान्तकरण संख्या 34 के जरिये अन्य खसरान की भूमि के साथ साथ प्रार्थना में वर्णित खेत खसरा नंबर 303 रकबा 2.76 हैक्टेयर भूमि का माफिक बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण अभयसिंह, नरपतसिंह पिता मोतीसिंह के बंट में खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि पश्चिमी दिशा में बंट में रखी गई एवं अप्रार्थी संख्या 1 मेघसिंह पुत्र लालसिंह के बंट में खसरा नंबर 303 रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि पूर्व दिशा में बंट में रखी गई। बाद बंटवाड़ा नामान्तकरण संख्या 34 के जरिये राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि का अमल दरामद करते हुवे प्रार्थीगण के बंट में खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में खसरा नंबर 303 रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई परन्तु नामान्तकरण संख्या 34 अप्रार्थी संख्या 3 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों हल्का पटवारी द्वारा भरा जाकर खसरा नंबर 303, 303/1 का उक्त नामान्तकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा तैयार नहीं

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

किया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार डेगाना व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों की गलती से अथवा भूल से उक्त खसरा नंबर 303, 303/1 का नक्शा ट्रेस नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी ई डी–1 ई–1 के बीच गलत तरमीम कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण का खेत मौके पर मार्क ए बी सी डी के बीच ही स्थित था। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में खेत खसरा नंबर 303 रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि जो मौके पर सी डी ई एफ के बीच काश्त कब्जासुदा एवं बंटसुदा आया हुआ था जिसे नक्शा ट्रेस नजरी नजरी में मार्क सी डी–1 ई–1 एफ के बीच गलत तरमीम कर दिया गया। इस प्रकार से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बीच मौके पर काश्त एवं कब्जे के विपरीत नक्शा ट्रेस गलत तरमीम कर दिये जाने से पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न हो गया जिससे प्रार्थीगण की ओर से राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण की बंटसुदा खातेदारीसुदा एवं कब्जासुदा भूमि बाद बंटवारा खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर आज दिन मौके पर जो स्थित है जिसका एक नजरी नक्शा परिशिष्ट क इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसमें प्रार्थीगण का खेत खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि मार्क ए बी ~~सी~~ डी–2 से सी–1 के बीच आया हुआ है जिसका रकबा पूर्व में राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार 0.63 हैक्टेयर ही है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नंबर 303 रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शा परिशिष्ट क में दर्शाये अनुसार मार्क सी डी ई एफ के बीच आया हुआ है जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में पूर्व में दर्ज अनुसार रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि ही है जिससे राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण का खेत खसरा नंबर 303/1 नजरी नक्शा परिशिष्ट क में मार्क डी डी–1 ई ई–1 हटाया जावे एवं उसके स्थान पर नजरी नक्शा परिशिष्ट क दुरूस्त किया जाकर खसरा नंबर 303/1 की पूर्वी मांठ मार्क डी–2 से सी–1 स्थान पर कायम कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जावे। उक्त रेकर्ड दुरूस्त किये जाने पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे में कोई रदोबदल नहीं होगा और ना ही राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। अप्रार्थी संख्या 2 शाखा प्रबन्धक एसबीआई मेड़ता है जिनके पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि रहन दर्ज है। नक्शा दुरूस्त किये जाने से बैंक के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं भूमि यथावत अप्रार्थी संख्या 2 के ही पूर्व में दर्ज रकबे के अनुसार ही रहन दर्ज रहेगी। प्रार्थीगण ने उक्त नक्शा राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित होकर नक्शा दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 ने नक्शा दुरूस्त करने से मना कर न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा जिससे यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार ही मौके पर अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण के खेतों की सीवें माठें कायम है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम खेड़ी चम्पा तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 303 रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि का नजरी नक्शा परिशिष्ट क में वर्णित मार्क डी डी–1 एवं ई ई–1 के बीच खसरा नंबर 303 की उतरी मांठ पर जो प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

की भूमि खसरा नंबर 303/1 के नक्शा की तरमीम बताई गई है उसे हटाई जाकर नक्शा ट्रेस दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम खेड़ी चम्पा के खसरा नंबर 303 रकबा 2.76 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा उपरोक्त प्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर नामान्तकरण संख्या 34 दर्ज हुआ था। अप्रार्थी संख्या 3 के जवाब के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक ईड़वा में अंकित किया गया है कि बंटवाड़ा अनुसार खसरा नंबर 303 का पश्चिमी हिस्सा रकबा 0.63 हैक्टेयर खातेदार अभयसिंह, नरपतसिंह पि0 मोतीसिंह के हिस्से में रखा गया जिसके नवीन खसरा नंबर 303/1 अंकित किया गया एवं पूर्व की तरफ का हिस्सा रकबा 2.13 हैक्टेयर खातेदार मेघसिंह पुत्र लालसिंह के हिस्से में रखा जाकर मूल खसरा नंबर 303 अंकित किया गया। किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त बंटवाड़ा की नवीन अंकन के अनुसार तरमीम करते समय सहवन से तरमीम गलत दर्ज कर दी गई। खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर की तरमीम करते समय इस खसरे के उतरी पूर्वी तरफ जो रास्ता राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है वो वर्तमान में मौके पर चल में नहीं है। भू–अभिलेख निरीक्षक ईड़वा ने अपनी रिपोर्ट में अशुद्व तरमीम व शुद्व तरमीम का पृथक–पृथक नजरी नक्शा अंकित किया है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रकबे में कोई रदोबदल नहीं होगा। रकबा पूर्व की भांति यथावत रहेगा। यदि इसे शुद्व किया जाता है तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो संतुष्ट है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प सिरासना में उपस्थित आया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर अपनी अनापत्ति दी है तथा अपने हस्ताक्षर किये है। अप्रार्थी संख्या 2 का नोटिस तामील नहीं हुआ है।

पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प सिरासना में रखा गया। हमने उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार खसरा नंबर 303 का अन्य खसरान की भूमि के साथ खातेदारान के द्वारा सहमति से बंटवाड़ा किया गया है जिसके अनुसार खसरा नंबर 303 रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में एवं खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के बंट में रखी गई। माफिक राजीनामा बंटवाड़ा के नामान्तकरण दर्ज किया गया, परन्तु नामान्तकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के अनुसार उसकी भूमि खसरा नंबर 303 के पश्चिमी हिस्से में बंट में थी तथा खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर उतरी पूर्वी तरफ जो रास्ता राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है वो उसकी भूमि नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 के बंट की भूमि है तथा उक्त दर्शित रास्ता प्रार्थीगण के बंट में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति दी है एवं प्रार्थी के द्वारा चाहे अनुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने पर खातेदारी में दर्ज रकबे में कोई अन्तर नहीं होना अंकित किया है जिससे बैंक

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भी अपनी सहमति प्रकट की है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेड़ी चम्पा के खसरा नंबर 303 रक़बा 2.13 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 303/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि की राजस्व नक्शा में तरमीम भू-अभिलेख निरीक्षक ईड़वा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्ज अनुसार किये जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक ईड़वा की रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। खातों की शेष प्रविष्टिया पूर्ववत्त रहेगी। बैंक का रहन पूर्ववत्त दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर मजमेआम में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner